

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:- प. 1(1)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक: 10-05-2022

—: आदेश :—

डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस., आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग जयपुर, इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2037 है, को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के अधार पर उनके निवास हेतु प्रथम श्रेणी राजकीय आवास संख्या 1/ए/2 बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर का रिक्त होने की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

शर्त

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतं निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राजस्थान द्वारा समय समय पर जारी आटेंशन के अनुसार वसूल होगा।
3. रायान्वृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर स बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/उच्चवार्षी के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की रिति में इस विभाग का सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-बैंक उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक उक्त लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व सर्वधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 1. आदेश प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पठनशापित रहे हैं।
 2. आदेश प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आधित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किये हैं।
8. उपरालन के आवंटित शज्ज सरकार द्वारा समय—समय देख जारी अन्य शर्तें भी नाल्य होगी।

इस विभाग के सम्बन्धित आदेश दिनांक 30.03.2022 द्वारा श्री प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस को 1/ए/2 बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर का किया गया आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैला किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. सचिव (जी.जी.) मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर का उनकी आई.डी क्रमांक एफ-22001557 दिनांक 09.05.2022 के क्रम में।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
5. आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित आवंटी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, /शासन सचिवालय जयपुर।
7. प्रोग्राम्स, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृष्णा उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वारक्षण अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंगिटेंड, समवाय सार्केल, जयपुर।
12. निदेशक, उद्यानिकी जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग छोकी, गांधीनगर जयपुर-कृष्णा उक्त आदेश को कार्यालय लेक्कबोर्ड पर चापा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पर्क विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजावें।
14. श्री प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस आयुक्त, आवकार्स दिभाग एवं प्रदेश मंद्य निषेध निदेशक, उदयपुर।
15. डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस., आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड- तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
16. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव